[redacted]

I. D. No. 269 PS/CCE/D-
Dated 13-3-13

106

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक : प.10(5)वित्त/राजस्व/2010 पार्ट-II लूज                    जयपुर, दिनांक : 18 FEB 2013

## परिपत्र

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ठ-VIII के अनुसार राज्य सरकार से सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण के संबंध में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को किये जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निर्देश दिये हुए हैं। इन्ही निर्देशों के अनुसार सेवानिवृति के 6 माह पूर्व पेंशन प्रकरण तैयार कर संबंधित पेंशन कार्यालय को भिजवाने का दायित्व संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का होता है।

यंहा यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदायगी अधिनियम 2011 में राज्य कर्मचारियों के पेंशन संबंधी भुगतान की सेवा को अधिनियम की अनुसूची के क्रमांक 59 से 65 में सम्मिलित किया गया है। सेवा की समय पर प्रदायगी नहीं होने पर प्रतिदिन विलम्ब के लिए 500/- अर्थदण्ड करने का प्रावधान है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा समय पर पेंशन प्रकरण तैयार कर उसके साथ विभागीय जॉच बकाया नहीं होने का प्रमाण-पत्र, सेवानिवृति आदेश, पेंशन कुलक, अदेय प्रमाण-पत्र आदि संबंधित पेंशन कार्यालय को भिजवाया जाना आवश्यक है। लेकिन सामान्यतः देखने में आया है कि सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण से संबंधित आवश्यक कार्यवाही समय पर प्रारम्भ नहीं की जाती है एवं आवश्यक प्रमाण पत्र समय पर जारी नहीं किये जाते हैं या अस्पष्ट/अपूर्ण/सशर्त जारी किये जाते हैं जिससे पेंशन प्रकरण का समय पर निस्तारण किया जाना संभव नहीं होता है।

अतः सभी कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों को पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ठ-VIII में वर्णित निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही समय पर की जाकर पेंशन प्रकरण संबंधित पेंशन कार्यालय को बिना किसी विलम्ब के भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिससे राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदायगी अधिनियम 2011 में निर्धारित समयावधि में पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाना संभव हो सके।

प्रमुख शासन सचिव,
वित्त विभाग

---

**राजस्थान सरकार**
**निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर**

**कमांकः- एफ.14(46)/नि.पे.वि./शिपाप्र/2012-13/**                    **दिनांकः** 3504-3691K 26/2/2013

**प्रतिलिपि निम्न को उक्त परिपत्र की अधीनस्थ कार्यालयों से पालना कराने हेतु प्रेषित है:-**

1. **समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान**
2. **समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान**

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा,
जयपुर

**अति. निदेशक**

D:\Parikshit ji\mpr forw..doc

---

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 26 (पेंशन) एम/आयो/निकाशि/पार्ट-III/252                    दिनांकः 21.3.2013

1 प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय राजस्थान

2 डा धीरेन्द्र देवर्षि प्रभारी वेबसाइट को भेजकर लेख है कि वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।

वित्तीय सलाहकार

[Type text]